5/10/17	श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा 5/10/17 को पुनः सुनवाई दिनांक 17/11/17 को की जायेगी।
17/11/17	वकील ~~[illegible]~~ मात्र उपस्थित। कथन गोलमोल के पुनः समय देने पर तलबी आगे की जाकर दिनांक 12/12/17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी करौली
12/12/17	पत्रावली पेश हुई। न तो मात्र उपस्थित आये और न ही उनके वकील उपस्थित आये। बार बार आवाज लगवाई गई कई बार आवाज लगवाई गई मगर कोई भी उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थना पत्र दावा खारिज पत्रावली में खारिज किया जाता है। पत्रावली फाईल शुमार (बेदखल) के करके) अभिलेख पत्रावली। उपखण्ड अधिकारी करौली